न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 51/2019
GCMS No. : 2019/00176

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. भूपेन्द्र पुत्र रामचरण गोयल (विक्रेता मालिक) मैसर्स मधुर ट्रेडर्स, नगर पालिका रोड़, सुमेरपुर, पाली। 2. संजय मित्तल पुत्र रामनिवास मैसर्स रिसालसिंह जयनारायण, 80–ए, नवीन मण्डी स्थल, मुजफ्फर नगर, उतर प्रदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. स्वयं उपस्थित
2. अप्राथी संख्या 1 उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश सांखला उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/07/21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 23.10.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स मधुर ट्रेडर्स, नगरपालिका रोड, सुमेरपुर, पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) ब्रिकी करते हुए पाया, वहां पर लगभग 50 पैकेट गुड़ के रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक में 20 किलो गुड़ है, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त गुड़ के पैकेट में से दो किलो गुड़ वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा गुड़ को चार डिब्बो में विभक्त कर 500–500 ग्राम लेकर प्रत्येक में 40–40 बुन्दें फौरमलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–814 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./743/एक्ट/2018/766 दिनांक 31.10.2018 में प्रार्थी द्वारा लिया गया गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) को Sub Standrad does not conform पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 का मात्र एजेन्ट, वेण्डर तथा डीलर है। जो मात्र अप्रार्थी संख्या 02 का पैक व सीलबन्द माल अपने गोदाम से विक्रय करता है, उसके द्वारा उक्त गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) में मिश्रण नहीं किया गया है। अतः उसे शास्ति से मुक्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल के पुनः जांच किये जाने का अवसर देने बाबत सूचना नहीं भेजी गई। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सीधे–सीधे अग्रेषण पत्र के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति हेतु भेज दी, जो विधि विरूद्ध है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सैम्पल लेने के बाद गुड़ के सैम्पल को उचित वातावरण में नहीं रखने के कारण उसकी गुणवता में फर्क हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को शास्ति दायित्व से मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर भुपेन्द्र पुत्र रामचरणजी गोयत (विक्रेता मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) दो किलो गुड़ वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा गुड़ को चार डिब्बो में विभक्त कर 500–500 ग्राम लेकर प्रत्येक में 40–40 बुन्दें फौरमलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–814 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त गुड़ के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि वह अप्रार्थी संख्या 2 का एजेन्ट, वेण्डर तथा डीलर है, वह मात्र पैक गुड़ का बेचाण करता है, उसका निर्माण नहीं करता है तथा पत्रावली संलग्न बिल से भी यही स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त गुड़ अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय किया है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./743/एक्ट/2018/766 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–814 को "The sample of Gur bearing Code NO. and Sr. No. R-814 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safty and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2018/13977–78 दिनांक 30.11.2018 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) जो जॉच में Sub-Standard पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु गुड़ (रिसालसिंह जयनारायण ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित

की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/07/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली